12/6/25

पत्रा० पेश हुई। प्रार्थी किशनसिंह की ओर से लखनमातरा एडवो० उप० हुए। मूल दावा नोटप्रेश के आधार पर खारिज किया जा चुका है। अतः प्रा० पत्र 212 RTA का कोई औचित्य नहीं है। अतः पत्रा० इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रा० फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.16 16:05:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner